संख्या-26/2017/1864/पन्चानवे-2017-7 बजट/15 टीसी

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय: आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 02 सियाज डेल्टा पेट्रोल (यूरो IV-कम्पलाइन्ट) के क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2373/लेखा/आधु0-20/2016 (हल्के वाहन) दिनांक 28.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 02 मारूति सियाज डेल्टा स्मार्ट (डीजल) के क्रय हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-14/2017/1030/पन्चानबे-2017-7 बजट/15 टीसी, दिनांक 05.07.2017 द्वारा दी गयी रू0 15,41,394/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करते हुए 02 सियाज डेल्टा पेट्रोल (यूरो IV-कम्पलाइन्ट) के क्रय हेतु पूर्णाक में रू0 7,29,401.42 पैसे/- प्रति वाहन की दर से कुल रू0 14,58,802.84 पैसे अर्थात पूर्णाक में रूपये 14,58,803/- (रू0 चौदह लाख अट्ठावन हजार आठ सौ तीन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा, किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त वाहनों का क्रय शासन सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा।

(4) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त मद पर व्यय होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवायें पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-होमगाडर्स विभाग की आधुनिकीकरण योजना 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0-ई-12-1028/दस-2017, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सत्येन्द्र कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2017/1864(1)/पन्चानवे-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. बजट सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।